FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0130 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/05/2026 10:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:32 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/05/2026 **Time (समय):** 08:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/05/2026 10:43:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 8.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** WARD NO.99 NAGAR NIGAM JAIPUR, KE RAILWAY STATION, SITHAT KARYALYA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAWANISHANKAR CHAWALA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH PARSAD CHAWALA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2003 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 09 KHATEEKO KA MOHALLA,, NAVA CITY, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 09 KHATEEKO KA MOHALLA,, NAVA CITY, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH KUMAR		पिता:GRUCHARAN	1. 91,ADARSH NAVAL COLONY,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	PARKASHCHAND		पिता:NARAYAN DAAS	1. A-445,VIDYADHAR NAGAR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय,हालात इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17.03.2026 को समय 01.00 पीएम श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मीणा को अपने कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय कक्ष में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री भवानीशंकर है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया है और प्रार्थना-पत्र मुझे सौंपते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री भवानीशंकर को साथ लेकर कार्यालय कक्ष मे लाकर श्री भवानीशंकर से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भवानीशंकर चावला पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चावला उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 09, खटीको का मोहल्ला, नावा सिटी जिला कुचामन डीडवाना होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भवानीशंकर द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैं दिव्यांग कोटे से नगर निगम जयपुर में सिविल लाईन जोन के वार्ड नम्बर 36 में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूं। मेरे वार्ड का जमादार वीरू गुजराती व एसआई दिनेश मेरी सैलरी तभी बनायेंगे जब मैं उनको रिश्वत दूंगा। पिछले महिने भी रिश्वत लेकर ही मेरी सैलरी बनायी थी । इस महिने सैलरी बनाने की एवज में मेरे से दोनो पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाहता। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है। हमारी उपस्थिति रखने व सैलरी हेतु उपस्थिति भेजने का सम्पूर्ण काम वहां पर स्थित दुकानदार श्री प्रकाश द्वारा किया जाता है और उसी के मार्फत लेन देन कर सकता है। एसआई दिनेश हर माह की सैलरी बनाने के लिये दुकानदार प्रकाश के माध्यम से मेरे से रिश्वत मांगता है और लेता भी है। परन्तु अबकी बार एसआई दिनेश ने कहा है कि यदि अब टाइम पर पैसे नहीं दिये तो सैलरी नही बनेगी। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व परिवादी द्वारा मजीद दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक जमादार वीरू गुजराती व एसआई दिनेश द्वारा रिश्वत मांगने का पाया जाने पर सत्यापन आवश्यक होने पर परिवादी भवानीशंकर को एसओ जमादार वीरू गुजराती व एसआई दिनेश के पास भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने निर्णय लिया जाकर कार्यालय की अलमारी से एक नया Consistent MICROSD CARD 32GB व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर कार्यालय लेपटॉप से दोनों खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री भवानीशंकर को रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता करने व वार्ता को रिकॉर्डर करने के लिए डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया समझाइश की जाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री भवानीशंकर को जरिये फर्द सुपुर्द किया। श्री सफी मोहम्मद कानिस्टेबल नं. 173 को तलब किया जाकर मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी श्री भवानीशंकर के साथ जाने के लिए आपस में परिचय करवाया जाकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। समय 04.00 पीएम पर श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 मय परिवादी श्री भवानीशंकर के उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अवगत करवाया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन के पास सदर पुलिस थाना के पास पहुंचा जहां पर श्री सफी मोहम्मद जी ठहर गये। मैं एसआई दिनेश व जमादार वीरू गुजराती से बात करने नगर निगम के वार्ड नम्बर 36 के कार्यालय केबिन में गया जहां पर दोनों ही नहीं मिले तो पास में स्थित प्रकाश की दुकान पर गया और प्रकाश से पूछा तो उसने मुझे करण से मिलने के लिये कहा फिर एसओ के बारे में जानकारी चाही तो कहा कि अभी तो आये नही तू फोन से बात कर ले इस पर मैंने कहा कि मेरे पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो दुकानदार प्रकाश ने मोबाइल नम्बर नहीं रखने पर उलाहना दिया और स्वयं के मोबाइल से दिनेश से वार्ता कर दिनेश से मेरी वार्ता भी करवायी। बातचीत के दौरान दुकानदार प्रकाश व दिनेश ने मेरे से पांच हजार रूपये की मांग की जिस पर मैंने दिनेश से पूछा कि सर पूरे ही देने है क्या पांच तो दिनेश ने कहा कि पूरे ही देने है। फिर मैं प्रकाश की दुकान से रवाना होकर श्री सफी मोहम्मद जी के पास आ गया और डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री सफी मोहम्मद को सुपुर्द कर दिया। श्री सफी मोहम्मद ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द करके अपने पास रख लिया था। इसके बाद वहां से रवाना होकर हम दोनो ब्यूरो कार्यालय आ गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू करके रिकॉर्डेड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बतायी गयी बातों की ताईद हुयी, रिकॉर्ड वार्ता मे आवाज की पहचान उपस्थित परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व अन्य आवाज दुकानदार प्रकाश व एसआई दिनेश की होना पहचान की तथा सत्यापन वार्ता के अनुसार एसआई दिनेश द्वारा परिवादी की माह मार्च 2026 की सैलरी बनाने की एवज में पांच हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई है

तथा दुकानदार प्रकाश ने श्री दिनेश एसआई के कहेनुसार परिवादी से पांच हजार की रिश्वत राशि की मांग की है। श्री सफी मोहम्मद द्वारा परिवादी के कथनो की ताईद की गई। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वीरू गुजराती के बारे में परिवादी से पूछने पर बताया कि इस नाम का व्यक्ति पहले वहां काम करता था पर अब वो यहां काम नहीं करता और वो मेरे से अब मिल भी नहीं रहा है। अब तक की वार्ता से एसओ दिनेश से डायरेक्ट सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी को दिनांक 18.03.2026 को पुनः उपस्थित होने के लिये रवाना किया गया तथा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक20.04.2026 को परिवादी श्री भवानीशंकर ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल अवगत करवाया कि मैं ड्यूटी पर पहुंच गया हूं आप श्री सफी मोहम्मद को भिजवा दो। जिस पर श्री सफी मोहम्मद कानि0 को कार्यालय में तलब कर कार्यालय अलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकालकर श्री सफी मोहम्मद कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की कि परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। बाद हिदायत श्री सफी मोहम्मद को मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के समय 11.10 एएम पर रवाना किया गया। समय 01.15 पीएम पर श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 मय परिवादी श्री भवानीशंकर के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी श्री भवानीशंकर ने अवगत करवाया कि श्री सफी मोहम्मद जी मेरे से रेल्वे स्टेशन के पास मिले जिन्होने मुझे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करके दिया। मैं नगर निगम के वार्ड नं. 36 के कार्यालय केबिन में गया जहां पर एसआई दिनेश उपस्थित मिला जिससे मैंने मेरी सैलरी के बारे में पूछा तो दिनेश ने कहा कि तू तो वीआईपी है तेरे पास कहां टाइम है तू नौकरी को नौकरी नही समझता। तब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है इस पर दिनेश ने मेरे से कहा कि प्रकाश से मिल लो वो आपका सारा काम करवा देगा फिर मैं कार्यालय से निकलकर पास में स्थित प्रकाश की दुकान पर गया जहां पर प्रकाश से मिला तो प्रकाश ने मेरे से पूछा कि दो महिने हो गये ना दो महिने का ले आ तेरा काम करवा दूंगा इस पर मैंने प्रकाश से पूछा कि एक महिने के या दो महिने के इस पर प्रकाश कहता है कि दो महिने के दो महिने हो गये दो के ही देने पड़ेंगे। तब मैंने उससे एक महिने के देने की हां कर रवाना होने लगा तो एसआई दिनेश वहां आया जिससे मैंने बैंक से लाकर देने के लिये कह कर बैंक के बारे में पूछा और फिर श्री सफी मोहम्मद जी के पास आ गया था और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद श्री सफी मोहम्मद कानि. ने अवगत करवाया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन के पास पहुंचा जहां पर परिवादी उपस्थित मिला जिसे विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर गोपनीयता बरतने की सावधानी रखने की हिदायत कर मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना कर दिया था। और मैं वहीं आस पास मुकीम हो गया था। परिवादी ने निगम के वार्ड नं. 36 के केबिन कार्यालय में प्रवेश किया था और थोड़ी देर बाद वापस मेरे पास आकर विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर दिया था जिसे बंद करके मैंने अपने पास रख लिया था। फिर परिवादी ने एसओ दिनेश व दुकानदार प्रकाश से हुई बातचीत के बारे में मुझे बताया था। श्री सफी मोहम्मद कानि. द्वारा परिवादी के कथनो की ताईद की गई। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्डेड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। उसके बाद मन पुलिस निरीक्षक ने प्रार्थना पत्र में अंकित जमादार वीरू गुजराती के बारे में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने अवगत करवाया कि वीरू गुजराती से पहले बात हुयी थी पर अब वो मेरे से बातचीत नही कर रहा और ना ही मेरे से पैसे मांग रहा। इस पर परिवादी को दिनांक 21.04.2026 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/- रूपये सहित उपस्थित होने हेतु कहा जाकर गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 27.04.2026 को समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री भवानीशंकर उपस्थित कार्यालय आया व मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मैं आज ड्यूटी पर आया तो वहां पर श्री दिनेश एसआई उपस्थित नही मिला। और श्री प्रकाश की दुकान भी खुली हुई नही थी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 5000/- रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वती राशि लेकर नही आया। आज मेरे पास व्यवस्था नही हुई। जिस पर परिवादी को दिनांक 29.04.2026 को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 5000/- रूपये सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाकर रवाना किया गया। दिनांक 05.05.2026 को समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री भवानीशंकर उपस्थित कार्यालय आया व अवगत कराया कि मेरे निजी काम होने के कारण मैं इतने दिन नहीं आ सका। आज मैं दिनेश को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/-रूपये लेकर आया हूं। जिस पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को तलब करने पर गवाहान श्री चेतन प्रकाश विजय हाल सहायक प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर व श्री रूपनारायण मीणा हाल ऑपरेटर- द्वितीय, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये जिनसे ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाही तो दोनों गवाहों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री भवानीशंकर व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मेरे पास श्री दिनेश एसआई का फोन नही आया तो इससे ऐसा लगता है कि वो आज मेरे से नहीं मिलेगा। कल सुबह हाजरी के टाइम वो मिलेगा। मैं कल सुबह रिश्वती राशि के साथ आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 06.05.2026 को परिवादी भवानीशंकर व स्वतंत्र गवाहान श्री चेतन प्रकाश व श्री रूपनारायण मीणा के उपस्थित आने पर समय 09.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी

श्री भवानीशंकर चावला को संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश एसआई, वार्ड नम्बर 36, नगर निगम जयपुर व श्री प्रकाश दुकानदार को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,000/- रूपये प्रस्तुत करने को कहने पर परिवादी श्री भवानीशंकर चावला ने अपने पास से 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/-रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 5000/- रूपये के नोटों का विवरण फर्द पेशकशी मे अंकित करवाया जाकर श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि को अखबार पर रखकर श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 से उक्त राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भवानीशंकर चावला की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रूपनारायण से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री भवानीशंकर चावला की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिने साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 से रखवाया गया। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये व संदिग्ध श्री दिनेश एसआई को रिश्वती राशि देते समय होशियार व चैकन्ना रहें। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल या सिर फर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन््त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दोनो हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश एसआई इन रंग लगे हुये नोटों को अपने हाथों से छुएगा और उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थेलीन पाउडर का डिब्बा को वापस श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 से पॉलिथीन की थैली में रखवाया गया तथा गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया, उपयोग में ली गई प्लास्टिक की चम्मच तथा डिस्पोजल गिलास, उक्त तीनों को नष्ट करवाया गया। श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी श्री भवानीशंकर चावला व संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश एसआई, वार्ड नम्बर 36, नगर निगम जयपुर, श्री प्रकाश दुकानदार के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने में काम लिए गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी श्री भवानीशंकर चावला को समझाईश कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप जब संदिग्ध अधिकारी से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो वार्ता को रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड करे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पृथक से तैयार की गई। समय 11.26 एएम पर श्री भवानीशंकर चावला के मोबाइल नम्बर पर संचालित वाट्स अप से संदिग्ध श्री दिनेश एसआई के मोबाइल नम्बर पर संचालित वाट्स अप पर कॉल करवाया तो कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। उक्त कॉल को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 12.30 पीएम पर संदिग्ध द्वारा परिवादी से आज दिनांक को मिलने की सम्भावना नहीं होने पर पेशकशी के समय परिवादी के पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखी गयी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 द्वारा वापस निकलवायी जाकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखी गई। आईन्दा संदिग्ध के मिलने की सम्भावना पर ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को रवाना किया गया। दिनांक 13.05.2026 को परिवादी श्री भवानीशंकर उपस्थित कार्यालय आया जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं 5-6 दिन नौकरी करके आया हूं जहां पर श्री दिनेश एसआई मेरे से मिला था जिसने मेरे से तीन महिने के बकाया की मांग की है और बोला कि मार्च 2026 से मई 2026 तक तीन महिने की सैलरी बनवानी है तो प्रत्येक महिने के पांच हजार रूपये के हिसाब से तीनो महिनो के पन्द्रह हजार रूपये दे दो। जब तक नहीं दोगे तब तक आपकी सैलरी नहीं बनेगी। वहीं पर उपस्थित दुकानदार प्रकाश ने भी मेरे से यही कहा कि तीन महिने की सैलरी बकाया है आपकी, अगर सैलरी बनवानी है तो तीनो महिनो के दे दो। तो मैंने उनको देने की हां की है और मैं कल दिनांक 14.05.2026 को एसआई दिनेश व दुकानदार प्रकाश से मिलूंगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 14.05.2026 को समय 08-00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। दिनांक 14.05.2026 को समय 08.00 एएम पर परिवादी श्री भवानीशंकर व पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री चेतन प्रकाश विजय व श्री रूपनारायण मीणा उपस्थित कार्यालय आने पर उपस्थित गवाहान के समक्ष दिनांक 06.05.2026 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वती राशि 5,000/- रूपये जिसकी फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत

फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार की गई थी तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखवाये गये थे। श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 को तलब किया जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर लगी उक्त रिश्वती राशि को कार्यालय की अलमारी से निकलवाया गया तथा परिवादी श्री भवानीशंकर चावला की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रूपनारायण से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। श्री पूरण सिंह हेड कानि. द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर लगी उक्त रिश्वती राशि को गिनवाया जाकर व फर्द पेशकशी दिनांक 06.05.2026 से मिलान करवाया जाकर परिवादी श्री भवानीशंकर चावला की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये व संदिग्ध दिनेश एसआई को रिश्वती राशि देते समय होशियार व चैकन्ना रहें। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल या सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95 मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी श्री भवानीशंकर चावला व संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश एसआई, वार्ड नम्बर 36, नगर निगम जयपुर, श्री प्रकाश दुकानदार के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने में काम लिए गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी श्री भवानीशंकर चावला को समझाईश कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप जब संदिग्ध अधिकारी से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो रिकॉर्डर चालू कर वार्ता को रिकॉर्ड करे। समय 08.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक छोटीलाल मय श्री अभिषेक पारीक, उप पुलिस अधीक्षक, श्री मनोहर सिंह एएसआई, श्री पुरूषोतम सहायक उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार हेड कानि. 137, श्री अशोक कुमार हेड कानि.149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्रीमती ममता मकानि0 251, श्री चन्द्रप्रकाश कानि. 181, श्री विकास कानि. 184 मय स्वतंत्र गवाहान श्री चेतन प्रकाश विजय, श्री रूपनारायण मीना मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी वाहनों मय चालको के तथा परिवादी श्री भवानीशंकर को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड संचालन करने की प्रक्रिया समझायी जाकर सुपुर्द किया गया व श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 के साथ सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 9.25 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रेल्वे स्टेशन जयपुर के पास स्थित पुलिस थाना सदर के सामने पहुंचा जहां पर परिवादी श्री भवानीशंकर चावला मय श्री सफी मोहम्मद कानि0 के उपस्थित मिला। जहां पर परिवादी के मोबाईल से दिनेश कुमार के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो कॉल अटेण्ड नही किये जाने पर समय 11.08 एएम परिवादी भवानीशंकर चावला को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर वास्ते रिश्वत लेन देन हेतु वार्ड नम्बर 36 नगर निगम, जयपुर कार्यालय में रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर वार्ड नम्बर 36 नगर निगम, जयपुर कार्यालय के आस पास परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुये। समय 11.32 एएम पर परिवादी श्री भवानीशंकर चावला के साथ एक व्यक्ति उस कार्यालय कक्ष से बाहर प्रकाश होजरी दुकान के पास आया जो अपने दोनों हाथों से रूपये गिनता हुआ आ रहा था। परिवादी ने उस व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये रिश्वत लेनदेन का नियत ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के परिवादी श्री भवानीशंकर चावला के पास पंहुच कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री भवानीशंकर चावला ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री प्रकाश चन्द है जिसने श्री दिनेश एसआई के कहेनुसार मेरे से रिश्वत प्राप्त कर ली है और अपने हाथ में ही ले रखी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उस व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री पुरूषोतम एएसआई व बाया हाथ श्री मनोहर सिंह एएसआई से पकड़वाया जाकर साथ में लेकर मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के वार्ड नं. 99 नगर निगम जयपुर के कार्यालय में प्रवेश किया जहां पर एक व्यक्ति सामने की ऑफिसर कुर्सी पर बेठा हुआ व दो व्यक्ति साइड की विजिटर कुर्सी पर बेठे मिले। सामने कुर्सी पर बेठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यह श्री दिनेश एसआई है जिसके कहने पर श्री प्रकाश ने मेरी रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिनको मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं ट्रेप टीम के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो ऑफीसर चेयर पर बैठे अधिकारी ने अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुरूचरण उम्र 58 साल जाति वाल्मिकी निवासी प्लाट नम्बर 91 आदर्श नवल कॉलोनी हसनपुरा पुलिस थाना सदर आयुक्तालय जयपुर हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर होना बताया एवं श्री प्रकाश से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाशचन्द पुत्र श्री नारायण दास उम्र 54 साल जाति सिंधी निवासी ए-445 विद्याधर नगर जयपुर हाल दुकानदार दुकान प्रकाश हौजरी, कार्यालय वार्ड नं. 99, नगर निगम जयपुर के पास रेल्वे स्टेशन, जयपुर मो.न. होना बताया तथा सामने की कुर्सीयों पर बैठे हुये दोनों व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कुश गुजराती पुत्र श्री सुमित गुजराती उम्र 25 वर्ष निवासी ए-5, आदर्श नवल कॉलोनी, हसनपुरा-ए, जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, वार्ड नं. 99, नगर निगम जयपुर मो.नं. तथा दूसरे ने अपना नाम करण पंवार पुत्र मोहन लाल उम्र 47 वर्ष निवासी मकान नं. 13 पंचायती धर्मशाला के पीछे हरिजन कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन, जयपुर हाल

सफाई कर्मचारी वार्ड नं. 99, नगर निगम जयपुर मो.नं. होना बताया।तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी भवानी शंकर चावला से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं नगर निगम जयपुर के वार्ड नम्बर 99 में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत हूं,जो परिसीमन से पूर्व वार्ड नम्बर 36 था। श्री दिनेश इस वार्ड में कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक/एसआई है जिनके द्वारा मेरी हाजरी की जाकर मेरी सैलरी बनाई जाती है। श्री दिनेश स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा माह मार्च, अप्रेल, मई 2026 की सैलरी नही बनाई गई है एवं सैलरी बनाई जाने की एवज में श्री प्रकाशचन्द दुकानदार प्राईवेट व्यक्ति के माध्यम से 5000 रूपये प्रतिमाह की रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी जिस पर मेरे द्वारा आपके कार्यालय में शिकायत की गई। श्री प्रकाशचन्द प्राईवेट व्यक्ति एवं श्री दिनेश स्वास्थ निरीक्षक से हुयी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसरण में मैंने अपनी सैलरी बनाने के लिए आज श्री दिनेश स्वास्थ्य निरीक्षक से उनके कार्यालय में मिलकर वार्ता की जिसमें श्री दिनेश कुमार जी से मैंने मेरी सैलरी के सम्बन्ध में बातचीत की तो उसने कहा कि करतमधरता प्रकाश ही है उससे मिल तथा ड्यूटी पर नहीं आने के सम्बन्ध में मेरे को डांटा व ड्यूटी पर आने व काम पर जाने के लिये कहा था। इस दौरान मुझे लस्सी पिलाई व किसी कर्मचारी को भेजकर प्रकाश को बुलाया तो प्रकाश ने मेरे से कहा कि तू दुनिया में कहीं घूम ले तेरा समाधान मेरे पास ही है। प्रकाश ने मेरे से 03 महिने की बकाया सैलरी बनाने की एवज में पन्द्रह हजार रूपये की मांग की तो मैंने कहा कि मेरे पास पांच हजार रूपये है इस पर मेरे से पांच हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर ली व शेष दस हजार रूपये आज ही आईसीआईसीआई बैंक से निकाल कर देने के लिये मेरे उपर दबाव डाला व पैसे मिलते ही सैलरी बनाने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात् रिश्वती राशि गिनता हुआ अपनी दुकान की तरफ आया तो मैं भी साथ साथ निकल आया और आपको नियत ईशारा कर दिया था। इस पर श्री प्रकाशचन्द प्राईवेट व्यक्ति को परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने भवानी शंकर को उधार रूपये दे रखे थे जो वापस लिये है। इस पर परिवादी ने प्रकाशचन्द की बात का खण्डन करते हुये कहा कि इन्होने श्री दिनेश कुमार के कहने पर मेरी बकाया सेलरी बनायी जाने की एवज में रिश्वत ली है। तत्पश्चात् दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक से परिवादी की सैलरी बनायी जाने की एवज में प्राईवेट व्यक्ति प्रकाश को दिलायी गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मैंने कोई रिश्वत नही मांगी है और ना ही प्राप्त की है। मुझे इसकी कोई जानकारी नही है। इस पर उपस्थित परिवादी ने दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक की बात का खण्डन कर बताया कि इन्होने मेरी सैलरी बनायी जाने की एवज में श्री प्रकाशचन्द से मिलने के लिए कहा जिस पर मैं प्रकाश चन्द से मिला तो प्रकाश चन्द ने मेरे से प्रतिमाह 5000 रूपये रिश्वत की मांग की और दिनांक 17.03.2026 व दिनांक 20.04.2026 को मेरे कहने पर प्रकाश ने अपने मोबाइल से दिनेश कुमार के मोबाइल पर लाउड स्पीकर पर बात कर बताया था कि भवानी शंकर आया है और बातचीत के दौरान दिनेश ने मेरे से प्रतिमाह 5000 रूपये रिश्वत लेकर मेरी सैलरी बनाने की सहमति दी थी, जिस पर मांग के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक ने 5000 रूपये मेरे से आज श्री प्रकाश को दिलवाये है। तत्पश्चात श्री प्रकाश प्राईवेट व्यक्ति से रिश्वत राशि कहां है के बारे मे पूछा तो श्री प्रकाशचन्द ने बताया कि मेरी दाहिने हाथ की मुट्ठी में है जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री चेतन प्रकाश विजय से श्री प्रकाश की दाहिने हाथ की मुट्ठी खुलवाई जाकर रिश्वत राशि बरामद की जाकर दोनों गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये के कुल 10 नोट कुल 5000 रूपये होना पाये गये जिनका मिलान स्वंतत्र गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वती राशि मे अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो हुबहु वही नोट होना पाये गये जिनको स्वतंत्र गवाह श्री रूपनारायण मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये। स्वतंत्र गवाह श्री चेतन प्रकाश विजय से श्री प्रकाशचन्द की जामा तलाशी लिवायी गई तो श्री प्रकाश चन्द के पास उसके मोबाइल रियलमी कम्पनी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नही मिली। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रियलमी कम्पनी मोबाइल को आरोपी श्री प्रकाश चन्द से चैक करवाया तो स्क्रीन पासवर्ड 4050 होना बताये तथा मोबाइल में एक सिम होकर सिम नम्बर एयरटेल कम्पनी आईएमईआई नम्बर स्लॉट प्रथम व स्लॉट द्वितीय होना बताये। मोबाइल फोन को श्री प्रकाश चन्द से स्विच ऑफ करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी भवानी शंकर चावला एवं उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री प्रकाशचन्द के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी भवानी शंकर चावला तथा आरोपी श्री प्रकाशचन्द (दलाल) के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बादट्रेप बॉक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री प्रकाशचन्द (दलाल) के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील

चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री भवानी शंकर चावला तथा आरोपी श्री प्रकाश के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री रूपनारायण मीणा के पास सुरक्षित रखवायी गयी रिश्वत राशि 5000 रूपये का पुनः दोनों गवाहान व मन् टीएलओ द्वारा फर्द पेशकशी से मिलान किया तो नोटो के नम्बर मिलान होने पाये गये। उक्त सभी नोटो को सफेद कागज की चिट के साथ सील मोहर कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। वार्ड नं. 99 नगर निगम जयपुर के कार्यालय में कार्यवाही करने के लिये बैठने हेतु उपयुक्त स्थान नहीं होने के कारण पास में ही स्थित पुलिस थाना सदर में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर मन् टीएलओ मय डिटेनशुदा आरोपीगण श्री दिनेश कुमार व श्री प्रकाश चन्द मय ट्रेप टीम व गवाहान मय धोवन की शिशियों, शील्ड रिश्वती राशि व ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों व उपस्थित दोनों व्यक्ति श्री कुश गुजराती व श्री करण पंवार के पुलिस थाना सदर रेल्वे स्टेशन के पास आयुक्तालय जयपुर पहुंचा जहां पर उपस्थित ड्यूटी अधिकारी को मन् टीएलओ व टीम का परिचय दिया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु बैठने का स्थान चाहा जिस पर पुलिस थाने में स्थित वर्क स्टेशन रूम में लिखित कार्यवाही करने हेतु अवगत करवाया गया। जिस पर मन् टीएलओ ने वर्क स्टेशन रूम पुलिस थाना सदर में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की।तत्पश्चात् श्री दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री चेतन प्रकाश विजय से लिवायी गयी तो उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में विवो कम्पनी का मोबाइल बरंग स्लेटी, पेन्ट की सामने की जेब से 7,500/-रूपये व टूटी हुई सोने जैसी धातू की चैन मिली। मन् टीएलओ द्वारा विवो कम्पनी मोबाइल को आरोपी श्री दिनेश कुमार से चैक करवाया तो स्क्रीन पासवर्ड 4545 होना बताये तथा मोबाइल में एक सिम होकर सिम नम्बर जियो कम्पनी होना बताया। मोबाइल फोन को श्री दिनेश कुमार से स्विच ऑफ करवाया गया। इसके पश्चात् श्री दिनेश कुमार से परिवादी श्री भवानी शंकर चावला के हाजरी व सैलरी से सम्बन्धित पत्रावली/ रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो श्री दिनेश कुमार ने हाजरी रजिस्टर अपने कार्यालय के टेबल की दराज में रखा होना बताया जिसे श्री दिनेश कुमार के बतायेनुसार कार्यालय से प्राप्त किया जाकर उक्त रजिस्टर के प्रथम पेज व मई माह के अंतिम पेज पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही में शामिल किया गया। श्री दिनेश से पूछने पर उसने बताया कि इस रजिस्टर को हम उपस्थित व अनुपस्थिति लगाने के लिये अस्थायी रूप से काम में लेते है वास्तविक उपस्थिति बायोमेट्रिक से होती है। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड का स्टेटमेण्ट मेरे द्वारा प्रमाणित कर कार्यालय में भेज दिया जाता है जहां से कर्मचारियो की सैलरी बनती है। भवानीशंकर के ड्यूटी पर नहीं आने के कारण मैंने इसकी सैलरी नही बनायी। इसके पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा मेरे पास सुरक्षित रखे विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी एवं घटनास्थल पर श्री सफी मोहम्मद कानि0 173 से विभागीय विडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाई गई। अब तक के सम्पर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवादी श्री भवानी शंकर चावला जो सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थापित है की माह मार्च 2026, अप्रेल 2026, मई 2026 की सैलरी बनाने के लिए दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक/एसआई वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर द्वारा मांग सत्यापन के दौरान प्रकाशचन्द प्राईवेट व्यक्ति दलाल के माध्यम से 5000 रूपये प्रतिमाह की रिश्वत की मांग की गई तथा मांग के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा आज दिनांक 14.05.2026 को 5000 रूपये की रिश्वत राशि वार्ड नम्बर 99 के कार्यालय के पास स्थित दुकान प्रकाश होजरी के दुकानदार श्री प्रकाश को परिवादी से दिलायी गई जो श्री प्रकाश चन्द प्राईवेट व्यक्ति दलाल से मौके पर रंगे हाथों बरामद की जा चुकी है।श्री कुश गुजराती से पूछने पर बताया कि मैं सफाई कर्मचारी के पद पर वार्ड नं. 99 में कार्यरत हूं। आज ड्यूटी करके मैं और श्री करण पंवार वापस वार्ड कार्यालय में आये थे जहां पर हम आराम करने हेतु आये थे। वार्ड कार्यालय में श्री दिनेश कुमार जी स्वास्थ्य निरीक्षक बैठे थे। थोड़ी देर में श्री भवानीशंकर सफाई कर्मचारी वार्ड कार्यालय में आया था जिसे मैं जानता हूं। भवानीशंकर व दिनेश जी के बीच ड्यूटी व सैलरी को लेकर बातचीत हुई थी तब दिनेश जी ने पास में स्थित दुकानदार श्री प्रकाश चन्द को बुलवाया था और भवानीशंकर से श्री प्रकाश चन्द दुकानदार ने पैसे लिये थे। ये पैसे किस बात के थे मुझे इसकी जानकारी नही है।श्री करण पंवार से पूछने पर बताया कि मैं सफाई कर्मचारी के पद पर वार्ड नं. 99 में कार्यरत हूं। मैं और श्री कुश गुजराती आज की ड्यूटी करके वार्ड कार्यालय आये थे जहां पर श्री दिनेश कुमार जी स्वास्थ्य निरीक्षक बैठे थे। थोड़ी देर में श्री भवानीशंकर सफाई कर्मचारी वार्ड कार्यालय में आया था जिसे मैं जानता हूं। भवानीशंकर व दिनेश जी के बीच ड्यूटी व सैलरी को लेकर बातचीत हुई थी तब दिनेश जी ने पास में स्थित दुकानदार श्री प्रकाश चन्द को बुलवाया था और भवानीशंकर से श्री प्रकाश चन्द दुकानदार ने पैसे लिये थे। ये पैसे किस बात के थे मुझे इसकी जानकारी नही है। श्री कुश गुजराती व श्री करण पंवार की प्रस्तुत मामले में कोई संलिप्तता नहीं पाये जाने पर रूखसत किया गया। अब तक की उपरोक्त समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुरूचरण उम्र 58 साल जाति वाल्मिकी निवासी प्लाट नम्बर 91 आदर्श नवल कॉलोनी हसनपुरा पुलिस थाना सदर आयुक्तालय जयपुर हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर एवं श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री नारायण दास उम्र 54 साल जाति सिंधी निवासी ए-445 विद्याधर नगर जयपुर द्वारा मिलीभगत कर परिवादी श्री भवानी शंकर चावला सफाई कर्मचारी की माह मार्च 2026, अप्रेल 2026, मई 2026 की सैलरी बनाने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान तय रिश्वत राशि 5,000/- रूपये प्रतिमाह तय की जाकर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 14.05.2026 को श्री दिनेश कुमार स्वास्थ निरीक्षक की

सहमति से श्री प्रकाशचन्द द्वारा प्राप्त करना पाया जाने पर आरोपी श्री दिनेश कुमार स्वास्थ निरीक्षक वार्ड नम्बर 99 नगर निगम जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61(2) बी.एन.एस. 2023 तथा श्री प्रकाशचन्द प्राईवेट व्यक्ति दलाल के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, 12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक व श्री प्रकाशचन्द को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पृथक पृथक अपनी आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो दोनो आरोपीगणों ने नोटिस की एक प्रति प्राप्त कर दुसरी प्रति पर दोनों ने अपनी नमूना आवाज देने से लिखित मे इन्कार किया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपीगण दिनेश कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक व श्री प्रकाशचन्द को जुर्म से आगाह कर उपरोक्त धारा मे जरिये फर्द पृथक पृथक नियमानुसार गिरफतार किया गया एवं धारा 47,48 बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका हालात मौका मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात बाद कार्यवाही मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय गिरफतार शुदा आरोपीगण व शिल्डशुदा शिशिया, रिश्वती राशि व जब्तशुदा आर्टिकल्स मय सरकारी वाहन व चालक के रवाना होकर समय 05.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पंहुच कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर तथा दौरान कार्यवाही की गई विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने मे काम मे लिया गया एसडी कार्ड व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने मे काम मे लिया गया एसडी कार्ड से नियमानुसार डीवीडीयां तैयार कर मुताबिक फर्द दोनो एसडी कार्ड व डिविडियों को पृथक पृथक सिल्डमोहर कर फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने कार्यवाही जब्तशुदा आर्टिकल्स को पृथक से मालखाना मे जमा करवाया जायेगा। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता, पूछताछ आरोपीगण तथा अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुरूचरण उम्र 58 साल जाति वाल्मिकी निवासी प्लाट नम्बर 91 आदर्श नवल कालोनी हसनपुरा पुलिस थाना सदर आयुक्तालय जयपुर हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर द्वारा परिवादी से उसके वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से आरोपी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री नारायण दास उम्र 54 साल जाति सिंधी निवासी ए-445 विद्याधर नगर जयपुर से मिलीभगत कर परिवादी श्री भवानी शंकर चावला सफाई कर्मचारी की माह मार्च 2026, अप्रेल 2026, मई 2026 की सैलरी बनाने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान तय रिश्वत राशि 5,000/- रूपये प्रतिमाह तय की जाकर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 14.05.2026 को श्री दिनेश कुमार स्वास्थ निरीक्षक की सहमति से श्री प्रकाशचन्द द्वारा प्राप्त करना पाया जाने पर आरोपी श्री दिनेश कुमार स्वास्थ निरीक्षक वार्ड नम्बर 99 नगर निगम जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61(2) बी.एन.एस. 2023 तथा श्री प्रकाशचन्द प्राईवेट व्यक्ति दलाल के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुरूचरण उम्र 58 साल जाति वाल्मिकी निवासी प्लाट नम्बर 91 आदर्श नवल कॉलोनी हसनपुरा पुलिस थाना सदर आयुक्तालय जयपुर हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर के विरूद्व 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 मे एवं श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री नारायण दास उम्र 54 साल जाति सिंधी निवासी ए-445 विद्याधर नगर जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7ए,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भवदीय, Sd (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर द्वितीय-जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61(2) बी.एन.एस.2023 में आरोपीगण 1. श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री गुरूचरण उम्र 58 साल जाति वाल्मिकी निवासी प्लाट नम्बर 91 आदर्श नवल कॉलोनी हसनपुरा पुलिस थाना सदर आयुक्तालय जयपुर हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर एवं 2. श्री प्रकाशचन्द (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र श्री नारायण दास उम्र 54 साल जाति सिंधी निवासी ए-445 विद्याधर नगर जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश कुमार स्वामी, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 926 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 810-13 दिनांक 17.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर 2- स्थाई समिति (बोर्ड), नगर निगम, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर द्वितीय-जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/05/2026 10:47:44

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				
2	Male	1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)